71

संख्या- /X-2-2012-12(49)/2012

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 18 सितम्बर, 2012

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के आयोजनागत पक्ष की जिला सेक्टर के "वन संचार साधन" योजना में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1505/X-2-2012-12(49)2012, दिनॉक 24 अगस्त, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा योजना के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1174/X-2-2012-12(49)2012, दिनॉक, 14 जून, 2012 से निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹ 149.33 लाख को निरस्त किया गया है।

2- अतः उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 एवं शासनादेश सं0-330/XXVII(1)/2012 दिनांक 22 जून, 2012 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के पत्रांक नि-157/3-4(जिला योजना-वन संचार) दिनांक 26 जुलाई, 2012 तथा राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या-395/288-रा0यो0आ0/वा0जि0यो0/2011-12 दिनांक 09 अप्रैल, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित आयोजनागत पक्ष की जिला सेक्टर **"वन संचार साधन"** योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में आय-व्ययक के सापेक्ष **₹ 4,58,00,000/- (₹चार करोड़ अठावन लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 एवं राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या-395/288-रा0यो0आ0/वा0जि0यो0/2011-12 दिनांक 09 अप्रैल, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्यके माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

क्रमशः...2

5. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

7. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

8. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली हाय.

9. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

10. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

12. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है, जो संलग्न है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.

13. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-395/288/रा0यो0आ0/वा0जि0यो0 /2011-12 दिनांक 09 अप्रैल, 2012 द्वारा निर्धारित किये गये भौतिक लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु नियमानानुसार व्यय किया जायेगा.

3- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 91- जिला सेक्टर योजना-01 वन संचार साधन हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवणानुसार संगत मदों में डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु सम्बन्धित जिले की Online Budget Allotment हार्ड कापी भी संलग्न है :-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0सं0	जनपद का नाम		योजना का नाम		
			वन संचार साधन		
			मानक मद		
		[illegible] निर्माण [illegible]	26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	29-अनुरक्षण	योग
1	नैनीताल	602	13	0	615
2	ऊधमसिंह नगर	610	30	747	1387
3	अल्मोड़ा	1175	36	429	1640
4	बागेश्वर	1312	58	1297	2667
5	पिथौरागढ़	4434	126	1220	5780
6	चम्पावत	1791	72	1417	3280
7	देहरादून	1495	63	1346	2904
8	टिहरी	1686	64	1208	2958
9	पौड़ी गढ़वाल	6872	202	2186	9260
10	चमोली	1049	37	591	1677

क्रमशः...3

11	रुद्रप्रयाग	2813	98	1599	4510
12	उत्तरकाशी	3860	172	3758	7790
13	हरिद्वार	301	29	1002	1332
योग		28000	1000	16800	45800

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ चार करोड़ अठावन लाख मात्र)

4- ये आदेश वित्त विभाग (अनुभाग-1) के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 एवं शासनादेश सं0-330/XXVII(1)/2012 दिनांक 22 जून, 2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं.

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

संख्या- 1611 (1)/X-2-2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
9. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
12. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव